

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलारा श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 7/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रावताराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी, सिणधरी, जिला-बाडमेर ।
2. श्री भंवर सिंह उर्फ भवाराम पुत्र श्री विसनाराम जाति राजपुरोहित निवासी दहिवा थाना सायला तहसील सायला जिला-जालोर, हाल जावाल ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955


उपस्थिति :-

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरौही ।
2. अप्रार्थी स्वयं ।

निर्णय

दिनांक 10.4.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2017 को उप अधीक्षक पुलिस, सिरौही के नेतृत्व में थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा अप्रार्थी के होटल पर जाँच करने पहुँचने पर होटल के पीछे होटल परिसर की तलाशी लेने पर एक व्यक्ति होटल पर आने वाले टैंकरो से धोरी कर डीजल सस्ते भाव में खरीद कर कुछ मुनाफा लेकर बाजार भाव से सस्ते भाव में डीजल विक्रय कर रहा था। जिस पर मय जाबता के पुलिस होटल अशोका के पीछे परिसर में पहुंची सादा वस्त्रधारी श्री जितेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक को जरिये फर्द मामूर कर 500 रुपये का 1 नोट जिसका नम्बर OFC 082754 पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा लघु हस्ताक्षर किये गये एवं डीजल विक्रय के लिये अप्रार्थी से बात की तो अप्रार्थीगण द्वारा बताया कि उसको टैंकरो से डीजल निकालकर विक्रय करने के लिये प्रतिमाह 12000/- रुपये में नीकर रखा हुआ है। परिसर की तलाशी लेने पर भौके पर लोहे के 2 ड्रम 200-200 लीटर के पाये गये जिसमें दोनो ड्रम में 180-180 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया । इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नहीं पाये गये। जिस पर पुलिस द्वारा कच्चे सरकार लिया जाकर नमूना सैम्पल 6 बीतलों में बी-1 से बी-2 तक लिया गया पुलिस द्वारा यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे लिये गये पेट्रोल, डीजल व अन्य सामग्री को समग्रपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।




जिला कलेक्टर, सिरौही

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी 1 द्वारा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा होटल पर जाँच करने पहुँचने पर होटल के पीछे होटल परिसर की तलाशी लेने पर एक व्यक्ति होटल पर आने वाले टैंकरो से चोरी कर डीजल सस्ते भाव में खरीद कर कुछ मुनाफा लेकर बाजार भाव से सस्ते भाव में डीजल विक्रय कर रहा था। परिसर की तलाशी लेने पर मौके पर लोहे के 2 ड्रम 200-200 लीटर के पाये गये जिसमें दोनो ड्रम में 180-180 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। अवैद्य रूप से डीजल का भंडारण करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नहीं पाये गये। अवैद्य भंडारण करने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है।

जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुशासन व नियंत्रण) आदेश 1990 की क्लॉज 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। अतः कब्जे सरकार लिये गये पेट्रोल डिजल एवं अन्य सामग्री को जब्त सरकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए डिजल एवं अन्य सामग्री वापस दिलवाये जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के होटल पर जाँच करने पहुँचने पर ढाबे के पास अप्रार्थी की होटल के पीछे होटल परिसर की तलाशी लेने पर एक व्यक्ति होटल पर आने वाले टैंकरो से चोरी कर डीजल सस्ते भाव में खरीद कर कुछ मुनाफा लेकर बाजार भाव से सस्ते भाव में डीजल विक्रय कर रहा था। परिसर की तलाशी लेने पर मौके पर लोहे के 2 ड्रम 200-200 लीटर के पाये गये जिसमें दोनो ड्रम में 180-180 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया।

अवैद्य रूप से पेट्रोल एवं डीजल का भंडारण करना राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुशासन व नियंत्रण) आदेश 1990 की क्लॉज 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः लोहे के 2 ड्रम एवं 4 जरीकन में भरा हुआ डीजल कुल 354 लीटर एवं ड्रम व अन्य सामग्री जो कब्जे सरकार लिये गये को जब्त सरकार किया जाना विधि सम्मत पाये जाने से कब्जे सरकार लिये गये पेट्रोल एवं डीजल एवं अन्य सामग्री को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 2 ड्रम एवं 4 जरीकन में भरा हुआ डीजल कुल 354 लीटर को अनुज्ञाधारी पेट्रोल पंप मालिक को वर्तमान कम्पनी दर पर सुपुर्द करें एवं ड्रम, व अन्य सामग्री को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि उचित लेखा मद में राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही